

04.01.18

वकील अनूपक ३५०। वकील डिक्रीश ने
राजसू मंडल, अजमेर में विचारधीन प्रकरण की-
जतिलिगी पेश की। प्रकरण राजसू मंडल, अजमेर
में विचारधीन होने के कारण इजराय पत्रावली को
माननीय राजसू मंडल अजमेर द्वारा पारित निर्णय
के अध्याधीन रहते हुए ड्रॉप की जाती है। माननीय
राजसू मंडल, अजमेर द्वारा पारित निर्णयानुसार
दोनों पक्षों ^{इजराय} पत्रावली को पुनः नंबर पर लेने
हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकेगे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से
कम हो एवं बाद तकमील जमा जिला अगित
हो। (३)

सहायक कलेक्टर
एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट
गंगापूर सिटी (स०मा०)